

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>बाबूराम चौहान बनाम लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 48/2021</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>16.03.21</p>	<p>अपीलार्थी बाबूराम चौहान, पता बास्ता पाड़ा, ग्राम पोस्ट रामगढ जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 16.01.2020 में उसके द्वारा (1) निजी अस्पतालों में ऑपरेशन के नाम पर मरीजों से अत्यधिक राशि वसूलने की प्रवृति पर अंकुश लगाने के संबंध में प्रार्थी द्वारा जिला कलक्टर जोधपुर को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 29.01.2020 एवं 25.08.2020 पर कलक्टर कार्यालय जोधपुर द्वारा की गई नोटशीट सहित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर कलक्टर जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (अपर कलक्टर जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सूचना अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(इन्द्रजीत सिंह) जिला कलक्टर जोधपुर</p>	